

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं/

39/2012

दिनांक

9/4/12

संख्या:- 500 E/01 MPP

RBE No. 39/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

विषय :- Surrendering of higher grade Posts.

संदर्भ :- R/Way BOL No. E (MPP) 2009/6/8

dt. 23/3/12

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 23/3/12 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

23/3/12

सलंगन- यथोक्त।

(आर.के.शर्मा) 2

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

7. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियाँ।
8. महासचिव- यूपीआरएमएस 15 प्रतियाँ।
9. महासचिव- एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियाँ।
10. महासचिव- ओबीसी एसो. 05 प्रतियाँ।
11. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. 05 प्रतियाँ।



Handwritten signatures and initials, including 'Chatterjee' and 'July'.

**Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)**

RBE. No. 39/2012

No. E(MPP)2009/6/8

Dated: 23 .03.2012

NWR
The General Manager (P),
All Indian Railways including
Production Units

Sub: Surrendering of higher grade posts.

Board vide their letter No.E(MPP)2005/1/54/Vol.III dated 06.03.2007 (RBE No.32/2007) have clarified that higher grade posts affecting promotional prospects of the staff are not to be surrendered. The same was reiterated vide Board's letter of even number dated 17.06.2011 and it was further advised that whatever surrender of higher grade posts has taken place the railways may create safety category posts as per extant orders as applicable for creation of new posts.

2. In pursuance of the discussions held in the PNM meeting between Railway Board and All India Railway men's Federation (AIRF) on 23rd and 24th February, 2012 it has been decided that instructions issued vide Board's letter dated 17.06.2011 (RBE No. 91/2011) stands withdrawn and wherever higher grade posts have been surrendered after the issue of the letter dated 06.03.2007 (RBE No. 32/2007) and which have led to promotions being adversely affected for staff working in the immediate lower grade (except in case of cadre restructuring) in all situations the higher grade posts may be restored and the post in the lowest recruitment grade from the cadre be surrendered without restoring to seeking difference of money value from the vacancy bank.

3. This is being allowed as a onetime measure. It may also be ensured that in future, while surrendering higher grade posts instructions contained in RBE No. 32/2007 are strictly followed without any deviation.

4 This issues with the concurrence of the associate finance of Railway Board.

Please acknowledge the receipt.

(Anil Wason)
Dy. Director/MPP
Railway Board

No.E(MPP)/2009/6/8

New Delhi, dated 23.03.2012

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई/सं. 39/2012

सं. ई (एमपीपी)/2009/6/8

नई दिल्ली, दिनांक: 23.03.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर करना।

बोर्ड ने अपने 06.03.2007 के पत्र सं. ई (एमपीपी)/2005/1/54/वॉल्यूम-III(आरबीई सं.32/2007) के तहत यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी संभावनाओं को प्रभावित करने वाले उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर नहीं किया जाना है। इन्हें बोर्ड के दिनांक 17.06.2011 के समसंख्यक पत्र द्वारा दोहराया गया था और यह सूचित किया गया था कि उच्चतर ग्रेड के जो भी पद सरेंडर किए गए हों, रेलें नए पदों के सृजन के लिए यथा लागू मौजूदा आदेशों के अनुसार संरक्षा कोटि के पदों को सृजित कर सकती हैं।

23 और 24 फरवरी, 2012 को रेलवे बोर्ड और ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के बीच आयोजित पीएनएम बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 17.06.2011 के पत्र (आरबीई सं.91/2011) के तहत जारी अनुदेशों को वापस लिया जाता है और दिनांक 06.03.2007 का पत्र (आरबीई सं.32/2007) जारी होने के बाद जहां-कहीं भी उच्चतर ग्रेड के पद सरेंडर किए गए हैं और जिनसे एकदम उससे निम्नतर ग्रेड (कैडर पुनर्संरचना के मामले को छोड़कर) में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो सभी स्थितियों में उच्चतर ग्रेड के पदों को बहाल किया जाए और कैडर के निम्नतम भर्ती ग्रेड के पद को वैकेंसी बैंक से मनी वैल्यू के अंतर की मांग किए बिना सरेंडर किया जाए।

3. इसकी एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी जा रही है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर करते समय आरबीई सं.32/2007 में उल्लिखित अनुदेशों का बिना किसी परिवर्तन के कड़ाई से पालन किया जाता है।